चन्द्रदेव श्याम सुशील

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	52/10 आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रोध आज ... न्यायिक कार्य ... साक्ष्य अन्य ... पत्रावली पूर्वानुसार ... 29/1/24 ... पेश हो।	
	29/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य ... में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/2/24 को पेश हो।	
	19/2/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पटवारी की तामील ... पत्रावली वास्ते तनकीयात दिनांक 19/3/24 को पेश हो।	
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ... उपस्थित। पत्रावली वास्ते तनकी ... दिनांक 15/4/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	15/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते तनकी हेतु दिनांक 29/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)	
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी ... अधिवक्तागण ... [illegible] ... पत्रावली ... [illegible] ... उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 52/2010
निर्णय दिनांक : 03/11/2011

चन्द्रदेव पारीक पुत्र श्री प्रभूदयाल पारीक, जाति पारीक ब्राह्मण, निवासी बी–59, वनस्थली मार्ग, लालपुरा कालोनी, जयपुर।

वादी

बनाम

कान श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री भजनलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 122/10, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
श्री मोहन स्वरूप सिंघल पुत्र श्री रामजीलाल सिंघल, जाति महाजन निवासी सुनार गली भुसावर, कस्बा एंव तहसील भुसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
विमला देवी धर्मपत्नि श्री दुर्गालाल, जाति जाट, निवासी लीला 3 की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
श्रीमति हंसा देवी धर्मपत्नि श्री लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी लीला की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसीलसांगानेर, जिला जयपुर।
श्री दुर्गालाल जाट पुत्र श्री मोतीलाल, जाति जाट, निवासी लीला की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान राज्य सरकार, वाया आधा सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 हैक्टे० एवं खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.63 हैक्टे० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर वादी साधिकार काबिज होकर काश्त कर लगान राज्य सरकार को जमा कराता चला आ रहा है। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि को वादी ने दिनांक 30–4–1994 को पंजिकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री रामलाल व श्री गोपाल पुत्र श्री लक्ष्मण जाट से क्रय किया था। विक्रय पत्र दिनांक 30–4–1994 के अनुसार वादी ने खसरा नम्बर 30 की सम्पूर्ण 0.38 हैक्टेयर भूमि तथा साबिका खसरा नम्बर 31 रकबा 1.46 हैक्टेयर में से 0.63 हैक्टेयर अर्थात् कुल 1.01 हैक्टेयर भूमि को क्रय किया जिसके आधार पर वादी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त को वादी के नाम खातेदारी में अंकित किया जा चुका है और वादी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर साधिकार काबिज रहकर लगान राज्य सरकार को जमा कराता चला आ रहा है। वादी द्वारा क्रय की गई उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 30 एवं 31/1 की सीमाओं का स्पष्ट विवरण वादी के हित में दिनांक 30–4–1994 को विक्रेता द्वारा तहरीर एवं तकमील किये गये विक्रय पत्र एवं उसके साथ

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से किया गया है, वादी विगत 16 वर्षों से बिना किसी बाधा के निरन्तर व निर्बाध रूप से उक्त विक्रय पत्र में दर्शाई गई सीमाओं के अन्तर्गत साधिकार काबिज काश्त है। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.36 हैक्टेयर के पूर्वी एंव दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 58 रकबा 0.50 हैक्टेयर स्थित है जो कि पूर्व में सर्व श्री मूलचन्द, रामेश्वर, बाबूलाल, रामलाल, भगवानसहाय एवं श्री रामकिशोर पुत्रान नाथु हिस्सा 1/8. कल्याण पुत्र खांगाराम हिस्सा 1/8. लादूराम व रामकरण पुत्रान कानाराम हिस्सा 1/4 एवं सुन्दर पुत्र घीसा हिस्सा 1/2 के नाम अंकित थी, जिसको उनके द्वारा करवाये गये विभाजन के पश्चात दौ भागो में विभक्त कर नवीन खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.30 हैक्टेयर व 58/2 रकबा 0.20 हैक्टेयर बनाये गये। उपरोक्त विभाजन के पश्चात वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 31/1 की दक्षिणी पूर्वी सीमा से लगते हुए खसरा नम्बर 58/1 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने क्रय कर लिया तथा उसके बाद स्थित भूमि खसरा नम्बर 58/2 को प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 ने क्रय कर लिया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 के द्वारा क्रय की गयी भूमि खसरा नम्बर 58/2 की कोई सीमा या भुजा वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 31/1 से लगती हुई नहीं है। वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 31, एंव 58 तथा अन्य खसरा नम्बरो के विभाजन की तरमीन की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 31/1 से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी के पडौसी खातेदार हैं जिनका नाम राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वर्तमान खसरा नम्बर 58/1 को क्रय किया है, तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने खसरा नम्बर 58/2 को क्रय किया है एंव प्रतिवादी संख्या 5 चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 के पति है जो भूमियों की खरीद–फरोख्त का व्यवसाय करते हैं ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने साथ मिलाकर षडयन्त्र पूर्वक अपनी धर्मपत्नी एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के द्वारा क्रय की गयी भूमि से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और अपने इसी कुत्सित उद्देश्य की पूर्ती हेतु उन्होने वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 31/1 के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये स्थान पर जबरन कुछ पत्थर डाल दिये ताकि वे उक्त स्थान पर अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवा लेवें। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की कोई भूमि वादी की खातेदारी की भूमि से लगती हुई नहीं है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित खसरा नम्बर 58/1 की उत्तरी–पश्चिमी सीमा अवश्य वादी की भूमि से लगती हुई है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कभी भी वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही मौजुदा सीमाओं को लेकर वादी से कभी कोई विवाद ही किया, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 के साथ कोई दुरभी संधी कर ली है और वे षडयन्त्र पूर्वक परदे के पीछे खड़े होकर वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने एवं करवाने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 9–5–2010 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने वादी की भूमि खसरा नम्बर 31/1 की दक्षिणी सीमा में कुछ पत्थर डाल दिये, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने दिनांक 10–5–2010 को उक्त प्रतिवादीगण से वार्ता की और उन्हें इस अवैध कृत्य को रोकने के लिए कहा, तो वे आमादा–फसाद हो गये और वादी को धमकी दी की वे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में मिलकर जहाँ चाहेंगे वहाँ अपनी सीमा कायम कर बाउण्ड्रीवाल बनायेंगे तुम रोक सको तो रोक लेना। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 से हुए उक्त विवाद एंव उनके द्वारा दी गयी धमकी के पश्चात तथा उनकी बदनियति को

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (खांगानेर)

देखते हुए वादी ने दिनांक 10–5–2010 को ही प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध पुलिस थाना बगरू में लिखित सूचना दी, जिस पर कार्यवाही करते हुए थानाधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 5 श्री दूर्गालाल जाट को थाने पर बुलाकर समझाया, तो प्रतिवादी संख्या 5 ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष यह मौखिक आश्वासन दिया कि वह खसरा नम्बर 58/1 का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने के पश्चात ही उक्त खसरा नम्बर की उत्तरी एंव पश्चिमी सीमा पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवायेगा उसके पहले नहीं, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिये गये उक्त आश्वासन के पश्चात वादी आश्वस्त हो गया कि प्रतिवादीगण अब कोई अवैध कार्यवाही नहीं करेगें। दिनांक 10–5–2010 को पुलिस अधिकारियों के समक्ष मौखिक आश्वासन देने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमियों का सीमाज्ञान करवाने एवं खसरा नम्बर 58/1 की उत्तरी–पश्चिमी सीमा की पहचान करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की और दिनांक 27–5–2010 को पुनः मौके पर 10–15 मजदूरों के साथ आये और संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये स्थान पर नींव खोदने लगे तो मौके पर मौजुद वादी के नोकरों एंव वादी ने प्रतिवादीगण के मजदूरों को रोका तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम में सूचना दी जिसकी पालना में पुलिस प्रशासन द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही पर मौके पर पुलिस को आता देख कर प्रतिवादी संख्या 5 एंव उसके साथ आये मजदूर मौके से भाग गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 ने जाते समय वादी को धमकी दी कि आज तो पुलिस बुलाने पर आ गयी लेकिन आयन्दा नहीं आयेगी ओर मैं अब हर सूरत में अवैध निर्माण कर तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहूंगा । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को कोई अधिकार नहीं है कि वे जबरन वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य करें, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने धनबल एवं भुजबल के आधार पर जबरन वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने की कोशिश में हैं और इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावे कि वे वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हरे व लाल रंग से दर्शाया गया है के किसी भी भू–भाग या अंश पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहम या मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवावें।

इस्तदुआ दादरसी निम्न प्रकार हैः–

(क) वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 हैक्टे० एवं खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.63 हैक्टे० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हरे व लाल रंग से दर्शाया गया है के किसी भी भू–भाग या अंश पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवावें।

(ख) हर्जा व खर्चा वाद वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 से दिलाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

(ग) उपरोक्त अनुतोष के साथ अथवा उसके अलावा जिस किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का वादी अधिकारी पाया जावे वह भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से वाद में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 हैक्टे० एवं खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.63 हैक्टे० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हरे व लाल रंग से दर्शाया गया है के किसी भी भू–भाग या अंश पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवावें। दौराने बहस प्रतिवादीगण ने जवाब वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज किया जावें।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 हैक्टे० एवं खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.63 हैक्टे० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिशिचित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर रहे हे तो उनको वादी की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/4/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्त सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 52/2010

1. चन्द्रदेव पारीक पुत्र श्री प्रभूदयाल पारीक, जाति पारीक ब्राह्मण, निवासी बी–59, वनस्थली मार्ग, लालपुरा कालोनी, जयपुर।

वादी

बनाम

1. कान श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री भजनलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 122/10, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्री मोहन स्वरूप सिंघल पुत्र श्री रामजीलाल सिंघल, जाति महाजन निवासी सुनार गली भुसावर, कस्बा एंव तहसील भुसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
3. विमला देवी धर्मपत्नि श्री दुर्गालाल, जाति जाट, निवासी लीला 3 की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमति हंसा देवी धर्मपत्नि श्री लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी लीला की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसीलसांगानेर, जिला जयपुर।
5. श्री दुर्गालाल जाट पुत्र श्री मोतीलाल, जाति जाट, निवासी लीला की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान राज्य सरकार, वाया आधा सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.38 हैक्टे० एवं खसरा नम्बर 31/1 रकबा 0.63 हैक्टे० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिशिचित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर रहे हे तो उनको वादी की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/5/2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)